28.6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट गुड़ागोड़जी में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल रहे। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान ख०न० 2050 राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा गत ख०न० 1796/2 में सन् 1962 में 15 बीघा भूमि अलॉट होना अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा ओम सिंह तहसीलदार द्वारा किये गये समस्त आंवटन आदेश निरस्त किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में वादी प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.18 को कैम्प कोर्ट गुड़ागोड़जी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)